दिनांक–02.08.2014 को अनिमेष कुमार पराशर, भा.प्र.से. जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता, किशनगंज की अध्यक्षता में जिला उत्तरदायित्व प्राधिकारण की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– 1. पुलिस अधीक्षक–सह–सदस्य सचिव, जिला उत्तरदायित्व प्राधिकारण, किशनगंज,
2. अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य सचिव, जिला उत्तरदायित्व प्राधिकारण, किशनगंज,
2. वरीय उप समाहर्त्ता, जिला विधि प्रशाखा, किशनगंज

कार्यवाही

पूर्व में जिला उत्तरदायित्व प्राधिकारण की बैठक माह मई, 2014 में दिनांक 10.05.2014 को आयोजित की गई थी । सम्पन्न बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 119/जि0वि0 दिनांक 10.05.2014 द्वारा सभी संबंधितों को भेजी गई है ।

तदनुसार बैठक की कार्यवाही का अनुपालन एंव अधिनियम की धारा 60 के तहत जिला उत्तरदायित्व प्राधिकारण के कार्यो की समीक्षा की गई ।

गत बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार पुलिस पदाधिकारी पर लगाये गये कतिपय आरोपों के संबंध में परिवादियों को दिनांक 19.06.2014 को सुना गया तथा पुलिस पदाधिकारियों की सुनवाई हेतु दिनांक 01.06.2014 को तिथि निर्धारित की गई थी, जिसमें मात्र एक पुलिस पदाधिकारी श्री घनश्याम कुमार, अ0नि0, तदेन थानाध्यक्ष, पौआखाली ही आए तथा अपना पक्ष रखे, जिन्हें लिखित रूप से पक्ष रखने के लिए कहा गया । अन्य दो पुलिस पदाधिकारी मो0 जनीफ तदेन थानाध्यक्ष, बहादुरगंज वर्तमान अररिया पुलिस बल तथा श्री चितरंजन ठाकुर, तदेन थानाध्यक्ष, कोचाधामन वर्तमान कटिहार पुलिस बल, पुनः निर्धारित तिथि दिनांक 17.07.2014 को भी उपस्थित नहीं हुई । विमर्शोपरान्त निर्णय लिया गया कि विषयवस्तु की विस्तृत जॉच अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, किशनगंज स्वयं कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे तथा संबंधित पुलिस पदाधिकारी इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण भी समर्पित करेंगे ।

अध्यक्ष एवं जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा यह भी कहा गया कि गठित जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण का व्यापक प्रचार–प्रसार क्षेत्र/विभिन्न जन बैठकों में किया जाय ताकि जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण की सार्थकता से आम जन अवगत हो सके तथा पुलिस एवं आम जन के साथ सहयोगात्मक एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण और सुदृढ़ हो सके ।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई ।

ह0/–
(अनिमेष कुमार पराशर, भा.प्र.से.)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता
–सह– अध्यक्ष
किशनगंज ।

ज्ञापांक...257........../जि0विधि दिनांक..09..../08/2014

प्रतिलिपि :: सभी संबंधित सदस्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं वृहद प्रचारार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: सरकार के संयुक्त सचिव/अवर सचिव, गृह(पुलिस) विभाग, बिहार पटना को कार्यालय पत्रांक 6567 दिनांक 03.09.2013 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: आयुक्त, पूर्णियॉ प्रमंडल, पूर्णियॉ की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: जिला प्रबंधक, आई.टी.,किशनगंज को सूचनार्थ एवं जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करते हुए सभी संबंधितों को ई–मेल हेतु प्रेषित।

(अनिमेष कुमार पराशर, भा.प्र.से.)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता
–सह– अध्यक्ष
किशनगंज ।